मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 21 जुलाई, 2015 (30 आषाढ़, शक सम्वत् 1937)

विधान सभा पूर्वाह्न 10 : 32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. भर्त्सना

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि – "सदन को स्मरण होगा कि दिनांक 17 जुलाई, 2014 को सदन ने प्रस्ताव पारित किया था कि सदन त्रयोदश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन से सहमत है, उस समय मैंने सदन से कहा था कि प्रकरण में सिद्धार्थ गुप्ता की भर्त्सना करनी है, उस हेतु मैं बाद में कार्यवाही करूंगा. तदनुसार आज दिनांक 21 जुलाई, 2015 को श्री सिद्धार्थ गुप्ता, अध्यक्ष, निर्धन, नि:शुल्क कानूनी सहायता समिति, भोपाल की भर्त्सना किये जाने की कार्यवाही की जाएगी.

इस अवसर पर यह सभा एक प्रकार से विधान सभा के उच्च न्यायालय के रूप में कार्य करेगी. अत: मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि जिस समय इस व्यक्ति की भर्त्सना की जाएगी उस समय सभा में पूर्ण शांति होनी चाहिए. हमें अपने विशेषाधिकारों का पूर्ण आदर करना चाहिए. अब मैं संबंधित व्यक्ति को आहूत करूंगा."

श्री सिद्धार्थ गुप्ता को सुरक्षा अधिकारी एवं मार्शल द्वारा सदन में लाकर कटघरे में खड़ा किया गया.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि – "श्री सिद्धार्थ गुप्ता, "आपको बिना किसी प्रमाण के माननीय अध्यक्ष, विधान सभा के विरूद्ध असत्य एवं अनुचित शिकायत करने और उस आधार पर समाचार प्रकाशन के लिये विज्ञप्ति जारी करने हेतु न केवल अध्यक्ष की अवमानना करने का दोषी पाया गया है, अपितु विशेषाधिकार समिति के समक्ष कई बार साक्ष्य हेतु बुलाये जाने पर उपस्थित न होने के कारण आपको समिति की अवमानना के लिये भी दोषी पाया गया है. आपके कार्य व्यवहार के कारण आपको अध्यक्ष एवं समिति की अवमानना एवं विशेषाधिकार भंग का दोषी ठहराया गया है.

अत: सभा के नाम से मैं आपके द्वारा सभा के विशेषाधिकार का घोर उल्लंघन करने तथा समिति की अवमानना के दोष के लिए आपकी भर्त्सना करता हूं. अब आप जा सकते हैं." तत्पश्चात् श्री सिद्धार्थ गुप्ता को सदन से बाहर ले जाया गया.

2. प्रश्नोत्तर

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रश्नकाल के प्रारम्भ में प्रथम प्रश्न के लिए श्री राजकुमार मेव, सदस्य का नाम पुकारा गया. किन्तु विपक्षी सदस्यों द्वारा अत्यधिक व्यवधान उत्पन्न करने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का बार-बार अनुरोध किया गया.

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 67 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 80 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. गर्भगृह में प्रवेश एवं कार्यवाही में व्यवधान

इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा व्यापम मामले को लेकर गर्भगृह में प्रवेश कर कार्यवाही में व्यवधान करना

इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा व्यापम मामले को लेकर गर्भगृह में आकर, लगातार अत्यधिक व्यवधान करने के कारण, माननीय अध्यक्ष द्वारा 10.40 बजे सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की जाकर, 10.52 बजे पुन: समवेत की गई

.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण व्यापम मामले को लेकर पुन: गर्भगृह में आकर नारेबाजी करते रहे. अत्यधिक व्यवधान होने के कारण, माननीय अध्यक्ष द्वारा 10.55 बजे सदन की कार्यवाही 11.30 बजे तक के लिए स्थगित की जाकर, 11.33 बजे पुन: समवेत की गई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

4. निंदा प्रस्ताव

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा अध्यक्ष महोदय को निंदा प्रस्ताव दिये जाने के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि विपक्ष लंबे समय से प्रश्नकाल नहीं चलने दे रहा है और लगातार सदन का महत्वपूर्ण समय जाया कर रहे हैं. यह विपक्ष का असंसदीय, निन्दनीय तथा अक्षम्य आचरण है.

(इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा व्यापम मामले को लेकर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए गर्भगृह में प्रवेश कर नारेबाजी करते रहे. इस कारण, सदन में व्यवधान के मध्य कार्यसूची में उल्लेखित विषयों पर कार्यवाही जारी रही.)

5. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के आलमपुर में गढ़ी एवं छत्रीबाग में अतिक्रमण होने,
(2) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया, सदस्य की मुरैना के दिमनी में महाविद्यालय खोले जाने,
(3) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य की मुंगावली के ग्राम कस्बा रेंज का डिपो भवन किराये पर दिये जाने,
(4) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की इंदौर एवं उज्जैन संभाग में बिल्डर्स द्वारा घटिया सामग्री के मकानों को बेचे जाने,
(5) डॉ. रामकृष्ण दोगने, सदस्य की खाचरौद नागदा में भू-माफिया द्वारा शा. भूमि बेची जाने,
(6) श्री ठाकुरदास नागवंशी, सदस्य की होशंगाबाद जिले के पिपरिया में अमानक स्तर के ट्रांसफार्मर्स लगे होने,
(7) श्री रामलाल रौतेल, सदस्य की अनूपपुर के चिचाई से अमलाई पहुंच मार्ग जर्जर होने,
(8) श्री सचिन यादव, सदस्य की कसरावद के ग्राम बिठोर में कृषकों को पेयजल और सिंचाई हेतु पानी न मिलने,
(9) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर जिला चिकित्सालय में रिएक्शन से मृत्यु होने एवं बीमारों की जांच कराई जाने तथा
(10) श्री आरिफ अकील, सदस्य की नर्मदा जल का पुराने भोपाल में वितरण न किये जाने,

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

6. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

सुश्री कुसुम सिंह महदेले, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अध्यादेश पटल पर रखे :-

(क) मध्यप्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (क्रमांक 1 सन् 2015), दिनांक 27 अप्रैल, 2015,
(ख) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (क्रमांक 2 सन् 2015), दिनांक 27 अप्रैल, 2015; तथा
(ग) मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (क्रमांक 3 सन् 2015), दिनांक 8 जून, 2015.

7. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ.गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का 39 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2013-14 पटल पर रखे.

(2) श्री सरताज सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने –

(क) मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि का द्वितीय वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 तथा

(ख) मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम मर्यादित का दसवां वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 पटल पर रखे.

(3) सुश्री कुसुम सिंह महदेले, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13 पटल पर रखे.

(4) श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री ने निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 पटल पर रखा.

(5) श्री राजेन्द्र शुक्ल, जनसम्पर्क मंत्री ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 पटल पर रखा.

(6) श्री रामपाल सिंह, राजस्व मंत्री ने उनके विभाग की निम्न अधिसूचनाएं :-

(क) क्रमांक-एफ-2-8-2012-सात-शा-6, दिनांक 10 मई, 2013; एवं

(ख) क्रमांक-एफ-2-1-2013-सात-शा-6, दिनांक 26 मार्च, 2015

पटल पर रखीं.

(7) श्री ज्ञान सिंह, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की चतुर्थ रिपोर्ट, वर्ष 2008-09 की अनुशंसाओं पर पालन प्रतिवेदन पटल पर रखे.

(8) श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2008 से 2013 तक पटल पर रखे.

(9) श्री सुरेन्द्र पटवा, राज्यमंत्री पर्यटन ने मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का 34 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2011-12 पटल पर रखा.

8. फरवरी-मार्च, 2015 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने फरवरी-मार्च, 2015 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

9. नियम 267 - क के अधीन फरवरी-मार्च, 2015 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने फरवरी-मार्च, 2015 सत्र में नियम 267-क के अधीन पढ़ी गयी सूचनाओं तथा उनके शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

10. राष्ट्रपति / राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा के विगत सत्र में पारित 1 विधेयक को राष्ट्रपति महोदय तथा 3 विधेयकों को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई हैं, जिनके नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं. इन विधेयकों को नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे :--

क्र.	राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक	अधिनियम क्रमांक
1.	रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 27 सन् 2014)	अधिनियम क्रमांक 12 सन् 2015

क्र.	राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक	अधिनियम क्रमांक
1.	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2015 (क्रमांक 7 सन् 2015)	अधिनियम क्रमांक 9 सन् 2015
2.	मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 1 सन् 2015)	अधिनियम क्रमांक 10 सन् 2015
3.	मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 2 सन् 2015)	अधिनियम क्रमांक 11 सन् 2015

11. ध्यान आकर्षण

(1) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य ने नर्मदा नदी में शहरों से गंदगी एवं उद्योगों द्वारा प्रदूषित जल छोड़े जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री लालसिंह आर्य, राज्यमंत्री, नगरी विकास एवं पर्यावरण ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) अध्यक्ष महोदय द्वारा सीहोर एवं शाजापुर जिले में कृषक अनुदान योजनान्तर्गत विद्युत ट्रांसफार्मर नहीं लगाये जाने संबंधित ध्यानाकर्षण पढ़ने हेतु श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य का नाम पुकारा गया किन्तु कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह से नारेबाजी एवं अत्यधिक व्यवधान के कारण उनके ध्यानाकर्षण की सूचना प्रस्तुत नहीं हो सकी.

12. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक सोमवार दिनांक 20 जुलाई, 2015 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों तथा अन्य कार्यों पर चर्चा हेतु समय आवंटित किये जाने की सिफारिश की गई है :-

क्रमांक	शासकीय विधेयक एवं अन्य कार्य	आवंटित समय
1.	मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 4 सन् 2015)	30 मि.
2.	मध्यप्रदेश तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण)विधेयक, 2015 (क्रमांक 5 सन् 2015)	30 मि.
3.	मध्यप्रदेश औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक,2015 (क्रमांक 6 सन् 2015)	1 घंटा
4	मध्यप्रदेश कृषिक जोत उच्चतम सीमा (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 7 सन् 2015)	30 मि.
5.	मध्यप्रदेश श्रम विधियां (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2015	30 मि.
6.	वर्ष 2015-2016 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण.	2 घंटे
7.	वर्ष 1997-98 की अधिकाई अनुदानों की मांगो पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरस्थापन, विचार एवं पारण.	30 मि.
8.	प्रदेश में आंधी,तूफान व भारी वर्षा से फसलों के बर्बाद होने पर किसानों को मुआवजा न मिलने के संबंध में श्री रामनिवास रावत, सदस्य की नियम 139 के अधीन सूचना पर चर्चा	1 घंटा 30 मि.
9.	मध्यप्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का सत्ताईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009, अठ्ठाईसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010, उनतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011, तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 तथा इकतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 के साथ ही उपरोक्त सभी वार्षिक प्रतिवेदनों के व्याख्यात्मक ज्ञापन पर चर्चा.	1 घंटा
10.	मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन 2013-2014 पर चर्चा.	1 घंटा
11.	मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का द्वादश वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 (दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त अवधि हेतु) पर चर्चा.	1 घंटा
12.	मध्यप्रदश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन 2013-2014 पर चर्चा.	1 घंटा
13.	एम.पी. पॉवर मैंनेजमेन्ट कंपनी लिमिटेड का अष्टम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 पर चर्चा.	1 घंटा

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों तथा अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

13. सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन, निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया:-

(1) श्री मानवेन्द्र सिंह
(2) श्री कैलाश चावला
(3) श्रीमती अर्चना चिटनिस
(4) श्री गिरीश गौतम
(5) श्री रामनिवास रावत
(6) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा

14. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सभापति ने याचिका समिति का दशम् एवं एकादश प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया.

15. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों की याचिकायें प्रस्तुत हुई मानी गई:-

(1) श्री भारत सिंह कुशवाह (जिला-ग्वालियर)
(2) कुंवर सौरभ सिंह (जिला-कटनी)
(3) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार (जिला-मुरैना)
(4) श्री रामपाल सिंह (जिला-शहडोल)
(5) श्रीमती योगिता नवल सिंह बोरकर (जिला-खण्डवा)
(6) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(7) श्री यादवेन्द्र सिंह (जिला-सतना)
(8) डॉ. गोविन्द सिंह (जिला-भिण्ड)
(9) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा (जिला-अशोक नगर)

16. लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों के लिए 11-11 सदस्यों का निर्वाचन

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - “सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उपनियम (3), 223 के उपनियम (1), 223-क के उपनियम (1) तथा 234-ढ के उपनियम (2) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए क्रमश : लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायतीराज लेखा समितियों के सदस्य होने के लिए अपने में से 11-11 सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों.”.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

17. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए 15 सदस्यों का निर्वाचन

श्री ज्ञान सिंह, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - "सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 234-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2015-2016 के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से 15 सदस्यों के निर्वाचन के लिए (जिनमें क्रमश: चार-चार सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के हों) अग्रसर हों.".

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

निर्वाचन कार्यक्रम

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नानुसार निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारित करने की घोषणा की गई -

(1) नाम-निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में गुरूवार, दिनांक 23 जुलाई, 2015 को अपराह्न 2.00 बजे तक दिये जा सकते हैं.
(2) नाम-निर्देशन प्रपत्रों की जांच शुक्रवार, दिनांक 24 जुलाई, 2015 को अपराह्न 2.00 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक- 6 में होगी.
(3) उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना शनिवार, दिनांक 25 जुलाई, 2015 को अपराह्न 2.00 बजे तक इस सचिवालय में दी जा सकती है.
(4) निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान सोमवार, दिनांक 27 जुलाई, 2015 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक होगा.
(5) निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा.
उपर्युक्त निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने एवं उम्मीदवारी से नाम वापिस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं.

18. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश अधोसंरचना विनिधान निधि बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 4 सन् 2005) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(2) सुश्री कुसुम सिंह महदेले, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश तंग करने वाली मुकदमेबाजी (निवारण) विधेयक, 2015 (क्रमांक 5 सन् 2015) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(3) श्री बाबूलाल गौर, गृह मंत्री ने मध्यप्रदेश औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 2015 (क्रमांक 6 सन् 2015) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

19. वर्ष 2015-2016 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार, वर्ष 2015-16 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 22 जुलाई, 2015 को 2 घन्टे का समय नियत किया गया.

20. वर्ष 1997-1998 के आधिक्य के विवरण का उपस्थापन

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार, वर्ष 1997-1998 के मतदत्त अनुदान और भारित विनियोग पर आधिक्य का विवरण उपस्थापित किया.

21. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में आंधी, तूफान एवं भारी वर्षा से फसलों के बर्बाद होने पर किसानों को मुआवजा न मिलने के संबंध में चर्चा हेतु श्री रामनिवास रावत, सदस्य का नाम पुकारा गया, किन्तु व्यवधान के कारण चर्चा नहीं हो सकी.

22. निन्दा प्रस्ताव

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा यह प्रस्ताव किया कि – "विपक्ष (कांग्रेस पक्ष) के सदस्यों ने प्रश्नकाल नहीं चलने दिया है तथा लंबे समय से हो-हल्ला कर सदन का महत्वपूर्ण समय जाया कर रहे हैं, इनके इस कृत्य की सदन निंदा करता है."

डॉ. गौरीशंकर शेजवार, वन मंत्री द्वारा निन्दा प्रस्ताव का समर्थन किया गया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस प्रस्ताव पर सदन का मत लिया गया.

निन्दा प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

मध्याह्न 12.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 22 जुलाई, 2015 (31 आषाढ़, शक सम्वत् 1937) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भगवानदेव ईसरानी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 21 जुलाई, 2015